

तारीख हुक्म
महाराष्ट्र शासन
कि
प्रशासन

हुक्म या कार्यादेशमिदेशनिश्चितसु मरु

नाम
अहक
तामील
5
र
व
7
रा
आर
16.
व
बं
बेक
या
जीय

शुद्धिकरणार्थक जाक प्रामाणिक दिक्की करावेची
अर्वा. विनियमित प्रशासित निमित्त
जायी हो। विनियत निर्णय पुष्पकुल विख्यात
जाक शासित विद्यालय पत्रापत्ती घालणे
पत्रापत्ती लकीम हलक होक (पत्रापत्ती फेल्लो
अप केम्प दिनांक 6/7/17) या पत्रापत्ती

6/7/17

पत्रापत्ती आज राजस्व लोक डाडाले
असिमान 2017 केम्प गाम फेल्लो जायेका
में हलक विनियत ले पत्रापत्ती दिक्की करील्लो
लपोप्या के पत्रापत्ती रालेजा 2017/331 दि
6.7.17 ले संस्था लकीम हलक की ठाई,
अवलोकन विनियत द्यावा पत्रापत्ती मुलाक
बेवारा लकीम फाईनाल दिक्की विनियत
हो। विनियत निर्णय पुष्पकुल विख्यात जाक
शासित विद्यालय पत्रापत्ती फेल्लो पुष्पकुल
होका नम्वार के करतो

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठरीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

सु०नं०	किस्म	ता०दायरा	ता० फाईनल निर्णय
32/15	दावा	13.07.15	06.07.17

रामनिवासी बेवा बलराम जाति मीना निवासी जीरौता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। -वादीया

बनाम

1. शिवचरण पुत्र बलराम जाति मीना निवासी जीरौता तह० सपोटरा जिला करौली।
2. रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी जीरौता तह० सपोटरा जिला करौली।
3. शाखा प्रबन्धक एसएसबीजे शाखा नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. शाखा प्रबन्धक बीआरजीबी शाखा सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज०)

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प जासोदा मे तलब किये जाने से पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि ग्राम जीरौता तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आतेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 29.06.17 द्वारा संशोधित प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक रालोअ/2017/331 दिनांक 06.07.2017 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादी सं० 2 भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादीया फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम जीरौता की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रामनिवासी बेवा बलराम मीना निवासी जीरौता के हिस्से मे ख०नं० 1047/1 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, ख०नं० 1187/2 रकबा 17 बिस्वा, ख०नं० 1424/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख०नं० 1440/1 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कुल कित्ता 4 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा रहेगा।
2. शिवचरण पुत्र बलराम जाति मीना निवासी जीरौता के हिस्से मे ख०नं० 1187/1 रकबा 06 बिस्वा, ख०नं० 1243 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, ख०नं० 1244 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख०नं० 1245 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 1246/1 रकबा 09 बिस्वा, ख०नं० 1280/1 रकबा 1 बीघा कुल कित्ता 6 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा रहेगा।
3. रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाति मीना निवासी जीरौता के हिस्से मे खसरा नं० 1047 रकबा 02 बीघा, ख०नं० 1187 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा, ख०नं० 1245 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, ख०नं० 1246 रकबा 08 बिस्वा, ख०नं० 1273 रकबा 17 बिस्वा, ख०नं० 1274 रकबा 18 बिस्वा, ख०नं० 1275 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख०नं० 1280 रकबा 16 बिस्वा, ख०नं० 1424 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, ख०नं० 1440 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कुल कित्ता 10 कुल रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.07.2017 सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजपाल यादव)

पीठरीन अधिकारी(एसडीएम)

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज०)

मुल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप सप्ल अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली
(पीएलसीन अधिकारी लोक अदालत टीम कोर्ट)

पीएलसीन अधिकारी- श्री राजपाल शावत आरएएस उप जिला कलक्टर सपोटरा।

उन्वान

रामनिवासी बेवा बलराम जाति गीजा निवासी जीरीता तहसील सपोटरा जिला
करौली राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. शिवचरण पुत्र बलराम जाति गीजा निवासी जीरीता तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाति गीजा निवासी जीरीता तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. शाखा प्रबन्धक एमएसबीजे शाखा नारीली ग्राम तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. शाखा प्रबन्धक बीआरजीबी शाखा सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0) -प्रतिवादीगण

दावा बाबत:- अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0सी0एनए

मुकदमा नम्बर:- 32/15

निर्णय दिनांक:- 06.07.2017

वादीया की ओर से रामनिवासी एवं प्रतिवादीगण की ओर से रामगोपाल की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 06.07.2017 को श्री राजपाल शावत आरएएस उपसप्ल अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-दावा वादीया मुताबिक बंदवारा स्वयंम फाईनल डिक्री किया जाकर आम जीरीता की विवादित आराजी का बंदवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. रामनिवासी बेवा बलराम गीजा निवासी जीरीता के हिरसे मे ख0नं0 1047/1 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, ख0नं0 1187/2 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 1424/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 1440/1 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा कुल कित्ता 4 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा रहेगा।
2. शिवचरण पुत्र बलराम जाति गीजा निवासी जीरीता के हिरसे मे ख0नं0 1187/1 रकबा 06 बिस्वा, ख0नं0 1243 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 1244 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0नं0 1245 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 1246/1 रकबा 09 बिस्वा, ख0नं0 1280/1 रकबा 1 बीघा कुल कित्ता 6 कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा रहेगा।
3. रामगोपाल पुत्र रंगलाल जाति गीजा निवासी जीरीता के हिरसे मे ख0नं0 1047 रकबा 02 बीघा, ख0नं0 1187 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा, ख0नं0 1245 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, ख0नं0 1246 रकबा 08 बिस्वा, ख0नं0 1273 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 1274 रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 1275 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 1280 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 1424 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 1440 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा कित्ता 10 कुल रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा रहेगा।

सर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजपाल शावत)

पीएलसीन अधिकारी

उपसप्ल अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के अर्थ

वादी	रूपरा	प्रतिवादी	रूपरा
1. वाद पत्र के लिए स्टैम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टैम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टैम्प		अजी के लिए स्टैम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टैम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपरे पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए विवाद ब्याज	
5. साक्षियों के लिए विवाद ब्याज		आदेशिका की लागत	
6. कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की लागत			